

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245129
SG-DL-E-12042023-245129

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 11
No. 123]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945	[N. C. T. D. No. 11

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सं. फा. 9/11/2010/गृह(सा0)/986-992.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 26 अप्रैल 2012 की अधिसूचना सं0 सं.फा. 9/11/2010-गृह(सा0)/1693 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में हेड वार्डर पद हेतु, निम्नानुसार भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार, हेड वार्डर भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-उक्तपदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	हेड वार्डर
2.	पदों की संख्या	:	416*(2023) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, 25,500-81,100/-रुपये
5.	क्या चयन मैरिट से अथवा चयन सह वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा टीप: कारागार विभाग द्वारा यथानिर्धारित 03(तीन) माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के अधीन पदोन्नति प्रभावित होगी।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:— वरिष्ठता के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में, 21,700-69,110/-रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की सेवा सहित वार्डर।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा) - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह)

टीप : मूल अधिसूचना दिनांक 25.07.1991 की सं.फा. 9/103/90-गृह(सा0)/2766 के द्वारा अधिसूचित की गई थी तथा तत्पश्चात् निम्नानुसार अधिक्रमित :-

क्र०सं०	फाइल संख्या	दिनांक
1	एफ.9/11/2010/गृ०सा०/1686	24.04.2012

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

No. F.9/11/2010/Home(G)/986-992.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/11/2010/Home(G)/1693 dated 26th April, 2012, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of **Head Warder** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Delhi Prisons Head Warder Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay - The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc., - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications- No Person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Warder	416* (2023) * Subject to variation dependent on workload	Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Non-selection.	Not Applicable	Not Applicable

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION /PROMOTION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not Applicable	By promotion Note: Promotion will be effective subject to the passing out of 03(three) month training course as may be prescribed by the Prison Department.	<u>Promotion:-</u> Warders with 05 (five) years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-3 (Rs. 21700-Rs.69110) in the Pay Matrix as per seniority.	Group 'C' DPC (for confirmation): 1. Principle Secretary/ Secretary (Power) - Chairman. 2. Head of Department concerned- Member. 3. Deputy Secretary (Finance) - Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)

Note : The Principal Notification was notified vide No. F.9/103/90/Home(G)/2766 dated 25.07.1991 and subsequently superseded as under:-

S.No.	File No.	Date
1	F.9/11/2010/Home(G)/1686	26.04.2012